पत्र सख्याः–आ0/बि0मा0आ0–45/2015–................/

फैक्स
स्पीड पोस्ट

बिहार सरकार
गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
सुपौल।

पटना, दिनांक– फरवरी, 2016

विषयः– राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वाद संख्या– **BHRC/Comp.1499/2014** में पारित आदेश के आलोक में पीड़ित श्री राज कुमार साह, पिता–श्री राज नारायण साह, ग्राम–करिहो, थाना+जिला–सुपौल को ₹2000/– (दो हजार रूपये) प्रतिमाह की दर से 24 महीने का कुल ₹48,000/–(अड़तालीस हजार रूपये) मात्र क्षतिपूर्ति/मुआवजा के रूप में जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा भुगतान/समंजन का आदेश/राज्यादेश संख्या– दिनांक– द्वारा स्वीकृत राशि मुख्य शीर्ष–2235, सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N223560200011 विषय शीर्ष–3102 अनुग्रह अनुदान में वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंधित राशि से कुल ₹48,000/–(अड़तालीस हजार रूपये) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेशः– स्वीकृत।

2. पीड़ित श्री राज कुमार साह, पिता–श्री राज नारायण साह, ग्राम–करिहो, थाना+जिला–सुपौल को क्षतिपूर्ति/मुआवजा भुगतान करने हेतु जिला पदाधिकारी, सुपौल को निम्नवत राशि आर्वटित की जाती हैः–

| वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को पूर्व में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को वर्त्तमान में आवंटित राशि | वित्तीय वर्ष 2015–16 में जिला पदाधिकारी, सुपौल को कुल में आवंटित राशि |
|---|---|---|
| – 00/–<br>(शून्य ) | ₹48,000/–<br>(अड़तालीस हजार) | ₹48,000/–<br>(अड़तालीस हजार) |

3. उक्त आवंटित राशि ₹48,000/–(अड़तालीस हजार रूपये) मात्र चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप–मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रय मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत विपत्र कोड N223560200011 विषय शीर्ष–3102–अनुग्रह अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. उक्त राशि जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा यथा विषयांकित पीड़ित श्री राज कुमार साह को मुआवजा के भुगतान हेतु उपलब्ध करायी जा रही है। जिला पदाधिकारी, सुपौल कृपया यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा मुआवजा की राशि का भुगतान पीड़ित की समुचित पहचान कर की गई है।

5. आयोग के दिनांक–20.03.2015 को पारित आदेश (छायाप्रति संलग्न) के बिन्दु (ii) में निहित निदेश के अनुसार पीड़ित को मुआवजा का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

6. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिला पदाधिकारी, सुपौल होंगे।

7. उक्त राशि के निकासी जिला कोषागार, सुपौल से की जायगी।

8. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है, जिसके अनुपालन की पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, सुपौल की होगी।

P.T.O

9. जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा पीड़ित श्री राज कुमार साह को उक्त राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/क्रॉस चेक के माध्यम से किया जाएगा।

10. जिला पदाधिकारी, सुपौल का यह दायित्व होगा कि भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र/प्राप्ति रसीद गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देंगे।

11. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा मात्र उक्त पीड़ित श्री राज कुमार साह को क्षतिपूर्ति/मुआवजा के रूप में भुगतान हेतु किया जाएगा, किसी भी अन्य योजना के कार्य पर विचलन नहीं किया जायेगा।

12. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, सुपौल द्वारा उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जाय तो उस राशि का प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2015-16 की समाप्ति के पूर्व गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

13. इस आवंटनादेश को महालेखाकार, बिहार, पटना को संसूचित किया जा रहा है।

14. इस आवंटन आदेश की प्रति संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं अन्य को भी दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-.......................................... पटना, दिनांक- फरवरी, 2016

प्रतिलिपिः- महालेखाकार(लेखा एवं हक), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

फैक्स
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांकः-.......................................... पटना, दिनांक- फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :- प्रमण्डलीय आयुक्त, कोसी प्रमंडल, सहरसा/जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, सुपौल/वित्त विभाग-सह-बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों) में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः-.......................................... पटना, दिनांक- फरवरी, 2016

प्रतिलिपि :- उप सचिव, प्रशाखा "ए0", गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांकः- 1105 ........................................../ पटना, दिनांक- 05 फरवरी , 2016

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, गृह (विशेष) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Jitendra 04.02.16

सरकार के विशेष सचिव।